दा.प्र.क्र. 657/2024
छ.ग. राज्य विरूद्ध संतोष दिनकर

Witness no. **01** for **अभियोजन साक्ष्य** deposition taken the **12-05-2025** day of **सोमवार** witness apparent age **30** Year state on affirmation **शपथ पूर्वक कथन** my name is **संदीप** Son, of **मंगल दास** Occupation **मजदूरी** address **ग्राम तुषार, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती (छ.ग.)**

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानता हूँ, वह हमारे गांव का है। मेरे समक्ष पुलिस वालो द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। पुलिस के कहने पर मैने दस्तावेजो में हस्ताक्षर किया था। धारा 179 BNSS की नोटिस प्र.पी. 02, नजरी नक्शा प्र.पी. 03, जप्ती पत्रक प्र.पी. 04, गिरफतारी पत्रक प्र.पी. 05 के क्रमशः अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। मैने पुलिस को बयान नहीं दिया था।

टीप – इसी स्तर पर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री श्याम कुमार गुप्ता द्वारा साक्षी से जिरह स्वरूप सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। विचार बाद अनुमति प्रदान की गयी।

02. यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष ग्राम तुषार में आरोपी के घर के सामने परछी में आरोपी से एक पीले रंग के 05 लीटर वाले प्लास्टिक जरीकेन में 05 लीटर भरी हुई महुआ शराब एवं एक सफेद रंग की 02 लीटर वाली प्लास्टिक बॉटल में 02 लीटर भरी हुई कच्ची महुआ शराब कुल 07 लीटर शराब जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि प्र.पी. 06 के अ से अ भाग का बयान पुलिस को दिया था। यह कहना गलत है कि आरोपी मेरे गांव का है, इसलिए मैं आज न्यायालय में सही बातें नहीं बता रहा हूँ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री एस. एल. रात्रे वास्ते अभियुक्त</u>

03. कुछ नहीं।

वाचित ,सत्य,स्वीकृत | मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

सही/-
(श्री राजेश खलखो)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जैजैपुर, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर

सही/-
(श्री राजेश खलखो)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जैजैपुर, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)